

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या-20/2016/855/सेक-2-पाँच-16-1(19)/2015

लखनऊ :: दिनांक : 03 मार्च, 2016

कार्यालय जाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत तत्कालीन प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 16,400-20,000 यथा संशोधित वेतनमान-रू0 37,400-67,000 ग्रेड पे-8900) के चिकित्साधिकारी डा0 गिरीश कुमार कुरील (वरिष्ठता क्रमांक-4952) को निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 18,400-22,400 यथा संशोधित वेतन ब्रेण्ड-4-37,400-67,000 ग्रेड पे-10000) के रिक्त पद के सापेक्ष उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर प्रोन्नत किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महर्षि स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- डा0 कुरील की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

अरविन्द कुमार


प्रमुख सचिव।

संख्या-20/2016/855(1)/सेक-2-पाँच-16, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से संबंधित चिकित्साधिकारी को परिचालित कराने का कष्ट करें।
- 5- समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
- 7- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ।
- 8- समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
- 9- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
- 10- समस्त प्रमुख अधीक्षक/अधीक्षिका/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय/जिला/संयुक्त/पुरुष/महिला चिकित्सालय, उ0प्र0।
- 11- कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 12- संबंधित चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल अपनी वर्तमान तैनाती स्थान पर योगदान करते हुए योगदान आख्या शासन/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को उपलब्ध करायें।
- 13- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश सहित कि उक्त आदेश को तत्काल विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

  
(विनोद कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।